न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : नमित मेहता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 20/2021 अपील

उनवान

1. अनिल पुत्र रामप्रसाद अचारत निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

बनाम

1. गुडडी पत्नि रामप्रसाद अचारत निवासी लाखोला तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा
2. नीलम पुत्र रामप्रसाद अचारत निवासी लाखोला तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा
3. सुनिल पुत्र रामप्रसाद अचारत निवासी लाखोला तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा
4. शारदा पत्नी रामप्रसाद अचारत निवासी लाखोला तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा
5. प्रेम देवी पिता नाथु अचारत निवासी लाखोला तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा
6. हर्जु पुत्री नाथु अचारत निवासी लाखोला तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा
7. भगा पिता भूरा अचारत निवासी लाखोला तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा
8. बदरी लाल दत्तक पिता गोकल अचारत निवासी लाखोला तहसील सहाडा
9. तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

अपील अंतर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध तहसीलदार, सहाड़ा बमामले नामान्तरकरण संख्या–1468 दिनांक 01.06.2016।

उपस्थित –

1. अधिवक्ता अपीलार्थी – श्री भैरू लाल माली।
2. प्रत्यर्थीगण अनुपस्थि।

निर्णय

दिनांक : २३-०१.2025

1– अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अंतर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के हक अधिकार आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित है जो वर्तमान राजस्व खाता क्रमांक 478 में दर्ज रेकॉर्ड है एवं आराजी संख्या 1265, 1266, 2059, 2063, 2064, 2065, 2066 कुल किता 07 रकबा 1.4500 है0 है। पारिवारिक सजरे के अनुसार धुला अचारत के पुत्र गोमा अचारत की मृत्यु दिनांक 04.01.2016 को हो गयी थी तथा उसकी पत्नी श्रीमति सुन्दर देवी की मृत्यु गोमा से पहले दिनांक 16.08.1988 को हो गयी थी। इस प्रकार गोमा अचारत के कोई भी जीवित जायन्दा वारिस नहीं थे। वर्ष 2016 में हल्का पटवारी लाखोला ने राज्य सरकार के आदेशानुसार जमाबन्दी ग्राम में सुनायी और जिन खातेदार की मृत्यु हो गयी थी उनका विरासत से नामान्तरण मौका पर्चा बनाकर नामान्तरण खोलकर भू–अभिलेख निरीक्षक के समक्ष पेश किया जो भू–अभिलेख निरीक्षक लाखोला ने अपनी मनमर्जी से रिपोर्ट करते हुऐ गोमा की पत्नी को जीवित बताकर एवं अन्यत्र निवास करना अंकित करके नामान्तरण खारिज करना अंकित कर दिया जिस पर तहसीलदार सहाडा द्वारा दिनांक 01.06.2016 को नामान्तरण खारिज करने का आदेश कर दिया। अपीलान्ट के पिता रामप्रसाद की मृत्यु होने के बाद उसने अपने पिता के नाम का नामान्तरण

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कराया ओर जमाबन्दी को देखा तो गोमा अचारत का नाम दर्ज होने की जानकारी हुयी जिस पर अपीलान्ट ने विवादित नामान्तरण के बारे मे जानकारी की और उसकी प्रमाणित प्रति तहसील रेकार्ड से दिनांक 12.07.2021 को प्राप्त की तो अपीलाधीन नामान्तरण के बारे में जानकारी हुयी और अपीलान्ट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की। पटवारी हल्का लाखोला ने ग्राम से जमाबन्दी पढ़कर सुनायी और गोमा अचारत की मृत्यु हो जाने एवं उसकी पत्नी भी जीवित नहीं होने से तथा गोमा अचारत के कोई भी प्रथम श्रेणी का वारिस जीवित नहीं होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियिम, 1950 में वर्णित अनुसार मृतक के द्वितीय श्रेणी के वारिसों के नाम पर नामान्तरण दर्ज कर भू–अभिलेख निरीक्षक लाखोला के समक्ष पेश किया, किन्तु भू–अभिलेख निरीक्षक ने बिना कोई जाँच किये ही अपनी मनमर्जी से गोमा अचारत की पत्नी को जीवित बताकर नामान्तरण खारिज करने की रिपोर्ट कर दी और उसके आधार पर विपक्षी संख्या–9 ने विवादित नामान्तरण संख्या–1408 का खारिज कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। मृतक गोमा अचारत की मृत्यु के पूर्व ही उसकी पत्नी सुन्दर देवी की दिनांक 16.08.1988 को मृत्यु हो गयी थी जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत लाखोला द्वारा दिनांक 06.01.2021 को जारी किया गया है इस प्रकार मृतक गोमा अचारत के कोई भी प्रथम श्रेणी का वारिस जीवित नहीं होने से हल्का पटवारी द्वारा उसके द्वितीय श्रेणी के वारिसों के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया था जिसको तहसीलदार सहाडा द्वारा अवैध तरीके से खारिज कर दिया। विवादित नामान्तण की जानकारी होने से यह अपील विहित समय में पेश है तथा अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश है। अन्त में अंकित किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार सहाडा द्वारा खारिज किये गये नामान्तरण संख्या–1468 ग्राम लाखोला को अपास्त फरमाया जाकर मृतक गोमा अचारत के अपील मे वर्णित सजरा अनुसार उसके विधिक वारिसों के नाम नामान्तरण दर्ज किये जाने का आदेश पारित फरमाये।

2– **बाद जांच प्रकरण दिनांक 05.08.2021 को पंजीबद्ध किया** जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या–1 लगायत 6 की ओर से इकबालिया जवाब मय शपथ–पत्र पेश किये।

3– प्रकरण में तहसीलदार सहाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय पत्रांक 1037 दिनांक 13.11.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि मृतक गोमा पिता धुला अचारत निवासी लाखोला के नाम ग्राम लाखोला में वाद वर्णित भूमियां किता 07 रकबा 1.45 हे0 भूमि सह खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है। खातेदार गोमा पिता धुला अचारत की मृत्यु हो चुकी है मृतक के कोई जायन्दा संतान नहीं है, मृतक गोमा पिता धुला की पत्नि सुन्दरदेवी की भी मृत्यु हो चुकी है। वक्त जांच प्रार्थी अनिल अचारत नि0 लाखोला ने मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की जिसमें मृतक सुन्दर देवी की मृत्यु दिनांक 16.08.1988 अंकित है, जो दिनांक 06.01.21 को जारी किया गया है। मृतक धुला पिता करमा अचारत निवासी लाखोला का एवं मृतक गोमा पिता धुला अचारत का वंशज सजरा पर्चा मौका में अंकित है।

4– **प्रकरण में अपीलार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गयी।** प्रत्यर्थीगण वक्त बहस अनुपस्थित रहें। अपीलार्थी अधिवक्ता ने वक्त बहस अपील मेमों में वर्णित तथ्यों की संक्षिप्त रूप से पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के अपील मेमों वर्णित पारिवारिक सजरे अनुसार धुला अचारत के पुत्र गोमा अचारत की मृत्यु दिनांक 04.01.2016 को हो गयी थी तथा उसकी पत्नि सुन्दर देवी की मृत्यु दिनांक 16.08.1988 को हो गयी थी एवं गोमा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अचारत के कोई भी जीवित जायन्दा वारिस नहीं थे। पटवारी हल्का लाखोला ने गोमा अचारत की मृत्यु हो जाने एवं उसकी पत्नी भी जीवित नहीं होने से तथा गोमा अचारत के कोई भी प्रथम श्रेणी का वारिस जीवित नहीं होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियिम, 1950 में वर्णित अनुसार मृतक के द्वितीय श्रेणी के वारिसों के नाम पर नामान्तरण दर्ज कर भू–अभिलेख निरीक्षक लाखोला के समक्ष पेश किया, किन्तु भू–अभिलेख निरीक्षक ने बिना कोई जाँच किये ही अपनी मनमर्जी से गोमा अचारत की पत्नी को जीवित बताकर नामान्तरण खारिज करने की रिपोर्ट कर दी और उसके आधार पर तहसीलदार, सहाड़ा ने विवादित नामान्तरण संख्या–1408 का खारिज कर दिया। मृतक गोमा अचारत की मृत्यु के पूर्व ही उसकी पत्नी सुन्दर देवी की दिनांक 16.08.1988 को मृत्यु हो गयी थी जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत लाखोला द्वारा जारी किया गया है। अन्त में अंकित किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार सहाडा द्वारा खारिज किये गये नामान्तरण संख्या–1468 ग्राम लाखोला को अपास्त फरमाया जाकर मृतक गोमा अचारत के अपील मे वर्णित सजरा अनुसार उसके विधिक वारिसों के नाम नामान्तरण दर्ज किये जाने का आदेश पारित फरमाये।

5– सर्वप्रथम अपील मेमों में अपीलाण्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 कानून मियाद अधिनियम के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत धारा–5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये, अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

6– **मैने अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस ध्यानपूर्वक सुनी,** बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरता से अध्ययन किया। बाद मनन एवं अध्ययन पाया कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील तहसीलदार, सहाड़ा के दिनांक 01.06.2016 के आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है जिससे तहसीलदार, सहाड़ा द्वारा गोमा अचारत की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का द्वारा विरासत से खोला जाने वाला प्रश्नगत नामान्तरकरण भू–अभिलेख निरीक्षक, लाखोला द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया गया है। मैने प्रश्नगत नामन्तरण का अध्ययन किया जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक, लाखोला द्वारा यह रिपोर्ट अंकित की गई है कि––"जांच की मौतबिरान ने बताया गोमा की पत्नि जिवित है अन्यत्र निवास कर रही है अतः खारिज योग्य है।––" इस प्रकार भू–अभिलेख निरीक्षक लाखोला द्वारा मृतक गोमा अचारत की पत्नि का जीवित होकर अन्यत्र निवास करना अंकित किया हुआ है, किन्तु प्रकरण में तहसीलदार, सहाड़ा द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह अंकित किया हुआ है कि मृतक गोमा पिता धुला अचारत निवासी लाखोला के नाम ग्राम लाखोला में वाद वर्णित भूमियां किता 07 रकबा 1.45 हे0 भूमि सह खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है। खातेदार गोमा पिता धुला अचारत की मृत्यु हो चुकी है मृतक के कोई जायन्दा संतान नहीं है, मृतक गोमा पिता धुला की पत्नि सुन्दरदेवी की भी मृत्यु हो चुकी है। वक्त जांच प्रार्थी अनिल अचारत नि0 लाखोला ने मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की जिसमें मृतक सुन्दर देवी की मृत्यु दिनांक 16.08.1988 अंकित है, जो दिनांक 06.01.21 को जारी किया गया है। मृतक धुला पिता करमा अचारत निवासी लाखोला का एवं मृतक गोमा पिता धुला अचारत का वंशज सजरा पर्चा मौका में अंकित है।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

इस प्रकार तहसीलदार, सहाड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 एवं पारिवारिक सजरा अनुसार मृतक गोमा अचारत का लाऔलाद फौत होना स्पष्ट है एवं उसकी पत्नि सुन्दर देवी की मृत्यु भी दिनांक 16.08.1988 को होना पत्रावली पर उपलब्ध सुन्दर देवी के मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति से प्रथमदृष्टया जाहिर होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार यदि मृतक गोमा के कोई जायन्दा वारिस वर्तमान में जीवित नहीं है एवं उसकी पत्नि भी पूर्व में फौत हो चुकी है तो तहसीलदार, सहाड़ा द्वारा जारी प्रश्नगत आदेश दिनांक 01.06.2016 प्रथमदृष्टया विधि विरूद्ध होगा किन्तु यदि मृतक गोमा की पत्नि वर्तमान में जीवित होकर अन्यत्र निवासरत है तो तहसीलदार, सहाड़ा द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया उचित होगा, जिसका निर्धारण विधिवत जाँच पश्चात् ही किया जा सकता है जिस हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार योग्य है। अतएव–

आदेश

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार, सहाड़ा जिला भीलवाड़ा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में मृतक गोमा अचारत की पत्नि सुन्दर देवी के वर्तमान में जीवित होने अथवा फौत होने बाबत् सुन्दर देवी के पीहर से जानकारी कर उपस्थित मौतबिरान के समक्ष सम्पूर्ण मौका पर्चा बनावें एवं सम्पूर्ण विधिक जाचं उपरान्त यदि मृतक गोमा की पत्नि सुन्दर देवी की मृत्यु यदि मृतक गोमा अचारत के पहले ही हो गयी हो तो तद्नुसार पुनः अजसिरे निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, गाण्डल जिला भीलवाड़ा को प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा